

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31—जून 6, 2014 (ज्येष्ठ 10, 1936)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31—JUNE 6, 2014 (JYAISTHA 10, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 12 नवम्बर 2013

ए एण्ड एस क्र. 03/2013-14--एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारत सरकार से विचार विमर्श के बाद, भारतीय स्टेट बैंक श्री वी. कलियप्पन, निवासी 79, शांति, विनायगर कोविल स्ट्रीट, शिवगिरी - 627757, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि, दिनांक 11 नवम्बर 2013 से 10 नवम्बर 2016 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

अरुंधति भट्टाचार्य

अध्यक्ष

ए एण्ड एस क्र. 01/2014-15--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, बी. रमेश बाबू, मुख्य महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुषंगी) को श्री राजीव एन. मेहरा के स्थान में निम्नलिखित सहयोगी बैंकों में तत्काल प्रभाव से निदेशक पद पर नामित करता है :

- i) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
- ii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- iii) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- iv) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- v) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

मुंबई-400 021, दिनांक 17 सितम्बर 2013

सं.: केका/मासंवि/औसंनी/2013-14:792.— सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एवं केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र के संस्थानों में नौकरी स्वीकार करने) विनियम, 2000 को संशोधित करते हुये निम्नलिखित विनियम बना रहे हैं, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र के संस्थानों में नौकरी स्वीकार करने) संशोधित विनियम, 2013 कहा जाये।
(2) ये विनियम शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र के संस्थानों में नौकरी स्वीकार करने) विनियम 2000 के विनियम 4 के उप विनियम(1)में शब्द “दो वर्ष” के स्थान पर शब्द “एक वर्ष” को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राजकिरण राय जी.
महाप्रबंधक—मासंवि

(*) पादटिप्पणी: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र के भाग III, अनुभाग 4 दिनांक 7 अप्रैल, 2001 को अधिसूचना संख्या 14 के ज़रिये प्रकाशित किया गया था।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कोलकाता-700 012, दिनांक 19 नवम्बर 2013

संख्या: 41 यू0 13/12 पीटीएमआर/1/व0रा0चि0 आयुक्त/11-12—क0रा0बी0 निगम की बैठक दिनांक 25-04-1951 में पारित संकल्प के अनुसार निगम की शक्ति क0रा0बी0 विनियम(सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत महानिदेशक में सन्निहित किया गया है तथा मुख्यालय पत्रांक यू0 13/12/13/2005—चि0 1 पी टी एम आर दिनांक 09-09-2008 के द्वारा महानिदेशक के आदेश से ऐसी शक्तियां एस0 एस0 एम0 सी0/एस0 एम0 सी0 को प्रत्यायोजित की गई हैं। अधोहस्ताक्षरी ने निर्धारित मानकों के अनुरूप मासिक वेतन पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तारीख से या जब तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी कार्याग्रहण नहीं करते, दोनों में से जो भी पहले हो, निम्नांकित क्षेत्रों के आवंटित केन्द्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा जांच एवं मूल प्रमाण-पत्र के संदिग्ध होने की स्थिति में आगे का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है।

डॉ0 का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ0 ए0 वार	दिनांक 02-02-2013 से दिनांक 01-12-2014 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद ग्रहण करने तक	शिलांग, बिरनीहाट

एस0 के0 चौधुरी
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (पू0क्ष0)

दिनांक 24 जनवरी 2014

संख्या: 41 यू0 13/12 पीटीएमआर/1/व0रा0चि0 आयुक्त/11-12—क0रा0बी0 निगम की बैठक दिनांक 25-04-1951 में पारित संकल्प के अनुसार निगम की शक्ति क0रा0बी0 विनियम(सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत महानिदेशक में सन्निहित किया गया है तथा मुख्यालय पत्रांक यू0 13/12/13/2005—चि0 1 पी टी एम आर दिनांक 09-09-2008 के द्वारा महानिदेशक के आदेश से ऐसी शक्तियां एस0 एस0 एम0 सी0/एस0 एम0 सी0 को प्रत्यायोजित की गई हैं। अधोहस्ताक्षरी ने निर्धारित मानकों के अनुरूप मासिक वेतन पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तारीख से या जब तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी कार्याग्रहण नहीं करते, दोनों में से जो भी पहले हो, निम्नांकित क्षेत्रों के आवंटित केन्द्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा जांच एवं मूल प्रमाण-पत्र के संदिग्ध होने की स्थिति में आगे का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है।

डॉ0 का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ0 विश्वजीत सेन	दिनांक 02-01-2014 से दिनांक 31-12-2014 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद ग्रहण करने तक	तिनसुकिया (असम)

एस0 के0 चौधुरी
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (पू0क्ष0)

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 12th November 2013

A&S No. 03/2013-14--It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with the Central Government, nominated Shri V. Kaliappan, residing at 79, Santhi, Vinayagar Kovil Street, Sivagiri - 627757, District Thirunelveli, Tamilnadu, as a director on the Board of Directors of State Bank of Travancore for a period of three years with effect from 11th November 2013 to 10th November 2016 (both days inclusive).

ARUNDHATI BHATTACHARYA
C H A I R M A N

The 5th May 2014

A&S No. 01/2014-15--In terms of Clause (c), sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India hereby nominates Shri B. Ramesh Babu, Chief General Manager (Associates & Subsidiaries), State Bank of India, A&S Group, Mumbai, as a director on the Boards of following Associate Banks with immediate effect vice Shri Rajeev N. Mehra:

- i) State Bank of Bikaner & Jaipur
- ii) State Bank of Hyderabad
- iii) State Bank of Mysore
- iv) State Bank of Patiala
- v) State Bank of Travancore

Mumbai:

ARUNDHATI BHATTACHARYA
C H A I R M A N

CENTRAL BANK OF INDIA

Mumbai-400 021, the 17th September 2013

No. CO:HRD:IRP:2013-14:792--In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition of Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of Central Bank of India after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000, namely:--

1. (1) These regulations may be called Central Bank of India Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Amendment Regulations, 2013.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 4 of the Central Bank of India Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000, in Sub-regulation (1), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

RAJKIRAN RAI G.
General Manager – HRD

(*) Footnote : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide notification number 14 published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated April 7, 2001.

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

Kolkata-700012, the 19th November 2013

No. 41.U.13/12/PTMR/I/SSMC/2011-12--In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting on 25.04.1951 conferring up on the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to SSMC/SMC vide D.G's order vide Hqrs. Office letter No.U.13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.08 the undersigned hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a

full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for the centre as stated below to the areas as allocated for the purpose of medical examination of the IPs and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of the doctor	Period	Name of centre
Dr. A. Warr	From 02.12.2013 to 01.12.2014 or till full-time MR is joined	Shillong , Byrnihat

S.K. CHOUDHURY
Sr. State Medical Commissioner(EZ)

The 24th January 2014

No.41.U.13/12/PTMR/I/SSMC/2011-12--In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting on 25.04.1951 conferring up on the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to SSMC/SMC vide D.G's order vide Hqrs. Office letter No.U.13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.08 the undersigned hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for the centre as stated below to the areas as allocated for the purpose of medical examination of the IPs and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of the doctor	Period	Name of centre
Dr. Biswajit Sen	From 02.01.2014 to 31.12.2014 or till full-time MR is joined	Tinsukia (Assam)

S. K. CHOUDHURY
Sr. State Medical Commissioner(EZ)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in